महापौर ने गणेश उत्सव समितियों के साथ की बैठक

जीरो वेस्ट गणपति उत्सव, स्वच्छ झांकियों को मिलेगा पुरस्कार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भोपाल में इस बार गणेश उत्सव को जीरो वेस्ट और स्वच्छोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। स्वच्छ और व्यवस्थित रहने वाली गणेश झांकियों तथा भंडारा करने वाली समितियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। शनिवार को महापौर मालती राय ने नगर निगम मुख्यालय अटल भवन के सभाकक्ष में गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों और निगम के स्वास्थ्य अमले के साथ बैठक की।

पांच-पांच समितियों को मिलेगा पुरस्कार

महापौर मालती राय ने कहा कि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के तहत जीरो वेस्ट आधार पर भगवान गणेश की झांकी और पंडाल व्यवस्थित रखने वाली पांच समितियों तथा जीरो वेस्ट तरीके से भंडारा करने वाली पांच समितियों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के अलावा दो सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

स्वच्छता बनाए रखने पर जोर

महापौर ने कहा कि स्वच्छता से पवित्रता आती है और पवित्रता में ईश्वर का वास होता है। गणेश उत्सव के दौरान समितियों को स्वयं स्वच्छता बनाए रखने के साथ लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए। उन्होंने स्वच्छता में सक्रिय सहयोग के लिए लगातार नए प्रयास किए जाने की बात कही।

झांकी समितियों का होगा पंजीयन

बैठक में महापौर ने नगर निगम के अमले को सभी झांकी समितियों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए। इसके लिए संबंधित सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। झांकी पंडालों में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।

विसर्जन व्यवस्था पर भी चर्चा

बैठक में गणेश विसर्जन चल समारोह के मार्गों और विसर्जन घाटों को व्यवस्थित करने पर भी चर्चा हुई। झांकी पंडाल समितियों, हिंदू उत्सव समिति और चल समारोह समितियों के पदाधिकारियों से भी व्यवस्थाओं को लेकर विचार-विमर्श किया गया।

सेवा संकल्प अभियान को जन जन तक पहुंचाएँ : महेंद्र सिंह

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने शनिवार को नर्मदापुरम स्थित जिला कार्यालय में जिला पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और सेवा संकल्प अभियान की टोली के सदस्यों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई सेवा यात्रा 25 वर्ष का गौरवपूर्ण पड़ाव पूरा कर रही है। 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री की सेवा, समर्पण और संकल्प की यात्रा को जन-जन तक पहुंचाना कार्यकर्ताओं का लक्ष्य होना चाहिए।

सेवा और राष्ट्र निर्माण का व्यापक अभियान

डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत माता की सेवा और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने वाला व्यापक जनअभियान है। प्रधानमंत्री का सार्वजनिक जीवन देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित रहा है। उनके सुशासन, जनकल्याण और राष्ट्र निर्माण की सोच को लोगों तक पहुंचाना कार्यकर्ताओं का दायित्व है। उन्होंने कहा कि जनधन खाते, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीति शुक्ला, सांसद माया नारोलिया, विधायक सीतासरन शर्मा, विजयपाल सिंह, प्रेमशंकर वर्मा और ठाकुरदास नागवंशी सहित सेवा संकल्प अभियान की जिला टोली के सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे।

सेवा संकल्प अभियान की तैयारी तेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भोपाल जिले के प्रभारी एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 17 सितंबर को सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और आकर्षक रोशनी के साथ भव्य रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों तथा चौराहों को दीयों से प्रकाशित किया जाए। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मस्थान बड़नगर से आने वाली यात्रा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया जाए। अभियान के दौरान मेट्रो रेल परियोजना, महत्वपूर्ण योजना स्थल, राजभवन, मिंटो हॉल, इंदिरा विधान भवन, वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल और झीलों-तालाबों के आसपास के क्षेत्रों को रोशनी से सजाया जाएगा।

बायोमेडिकल कचरा फेंकने पर मेडिकल स्टोर पर पांच हजार जुर्माना

गंदगी, सिंगल यूज प्लास्टिक और अवैध अहातों के खिलाफ 54 मामलों में 60,800 रुपये का स्पॉट फाइन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः शहर में गंदगी फैलाने, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने और अवैध रूप से अहाते संचालित करने वालों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने विभिन्न जोन में 54 मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 60 हजार 800 रुपये का मौके पर जुर्माना वसूला।

जोन क्रमांक 16 के वार्ड 65 में 80 फीट रोड के पास बड़ी मात्रा में बायोमेडिकल कचरा और अन्य गंदगी खुले में मिली। कचरे में मिले बिल के आधार पर निगम ने वार्ड 70 स्थित जेम्स मेडिकल स्टोर की पहचान की। संचालक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया। उसे बायोमेडिकल कचरा खुले में नहीं फेंकने और कचरे को अलग-अलग रखने की समझाइश भी दी गई।

इसी जोन के भानपुर स्थित शराब दुकान पर गंदगी और सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर पांच हजार रुपये तथा अहाते में गंदगी मिलने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

जोन क्रमांक 14 के अवधपुरी क्षेत्र में 30 मामलों में 23 हजार रुपये का जुर्माना वसूलने के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया। जोन क्रमांक छह के मनीषा मार्केट क्षेत्र में गंदगी, प्लास्टिक के उपयोग और अवैध अहाता संचालन के 11 मामलों में 12,600 रुपये वसूले गए।

रात्रिकालीन सफाई दल ने लालघाटी, शहीद नगर, इब्राहिमपुरा और कोहेफिजा में 10 मामलों में 10,200 रुपये का जुर्माना किया। निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर अभियान जारी रहेगा।

जयप्रकाश अस्पताल के सफाईकर्मियों को कचरा प्रबंधन का प्रशिक्षण

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को जयप्रकाश चिकित्सालय (1250) के सफाईकर्मियों और सफाई कार्य से जुड़े पर्यवेक्षकों को कचरा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया। इसमें कचरे को अलग-अलग करने, सुरक्षित तरीके से एकत्र करने और निर्धारित स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया समझाई गई। निगम अधिकारियों ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत गीले, सूखे और अन्य प्रकार के कचरे को अलग-अलग रखना जरूरी है।

फर्जी दस्तावेजों से सिम लेकर 12 लाख की साइबर ठगी

नप्र, भोपाल : अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मोबाइल सिम हासिल कर साइबर ठगी के जरिए एक व्यक्ति के बैंक खाते से 12 लाख रुपये निकालने का मामला सामने आया है। जांच के बाद पुलिस ने एक महिला समेत दो आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस अब आरोपितों की तलाश कर रही है।

पुलिस के अनुसार जांच में विष्णु शर्मा और प्रियंका सिंह के नाम सामने आए हैं। आरोप है कि दोनों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मोबाइल सिम हासिल की थी। इन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर जालसाजों ने साइबर ठगी की और एक व्यक्ति के बैंक खाते से 12 लाख रुपये गायब कर दिए।

फरियादी ने बैंक खाते से रकम निकलने के संबंध में पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत की जांच के दौरान पुलिस को ठगी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों और सिम की जानकारी जुटाई गई। पड़ताल में सामने आया कि साइबर ठगी के लिए जिन सिम का इस्तेमाल किया गया, वे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल की गई थीं।

पुलिस ने जांच के आधार पर विष्णु शर्मा और प्रियंका सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि फर्जी सिम के जरिए उन्होंने कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

रियल एस्टेट कारोबारी के घर फायरिंग करने वाले आरोपी फरार

नप्र, भोपाल : रातीबड़ थाना क्षेत्र के गोरा गांव में रियल एस्टेट कारोबारी के घर फायरिंग करने वाले आरोपितों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने आरोपितों की तलाश के लिए आधा दर्जन टीमें गठित की हैं। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल नंबरों के आधार पर उनकी पहचान और ठिकाने का पता लगाया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार गोरा गांव निवासी राजा तोमर रियल एस्टेट कारोबारी हैं। उन्होंने एफटीएल क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर शिकायत की थी। इसके बाद गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात करीब ढाई बजे फॉरच्यूनर कार से आए बदमाशों ने उनके घर पर 11 राउंड फायर किए। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

कारोबारी ने पुलिस को बताया कि फायरिंग से पहले उन्हें फोन पर धमकी दी गई थी। उन्हें कारोबार नहीं करने देने और इलाके में नहीं रहने देने की धमकी दी गई थी। कारोबारी ने धमकी देने वाले मोबाइल नंबर भी पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। पुलिस अब घटना के समय आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

पं. खुशीलाल कॉलेज की कैंटीन में मिली सड़ी प्याज, 10 दिन पुरानी ब्रेड का हो रहा था उपयोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में संचालित कैंटीन में स्वच्छता और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित निर्माण व भंडारण को लेकर कई अनियमितताएं सामने आई हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान कैंटीन में सड़ी हुई प्याज रखी मिली। वहीं, जिस ब्रेड की उपयोग अवधि 10 दिन पहले समाप्त हो चुकी थी, उसका इस्तेमाल सैंडविच बनाने में किया जा रहा था। अधिकारियों ने विद्यार्थियों के लिए संचालित नवीन कैंटीन का निरीक्षण किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के निरीक्षण में मिलीं कई अनियमितताएं, खाद्य सामग्री के नमूने जांच के लिए भेजे

इसमें साफ-सफाई और स्वच्छता की उचित व्यवस्था नहीं मिली। खाद्य सामग्री का सुरक्षित तरीके से भंडारण भी नहीं किया जा रहा था। खाद्य पदार्थों के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता और भंडारण व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं पाई गई। यहां सेलिब्रेशन इवेंट एंड इंटरटेंमेंट केटरिंग के माध्यम से भोजन तैयार किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान पेयजल के लिए इस्तेमाल हो रही आरओ और जल शोधन प्रणाली तथा पानी की गुणवत्ता की भी जांच की गई। एक अन्य कैंटीन में भी स्वच्छता और खाद्य पदार्थों के भंडारण में कमियां मिलीं। कर्मचारियों द्वारा निर्धारित स्वच्छ व उचित वेशभूषा का पालन नहीं किया जा रहा था। अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कैंटीन संचालकों को सुधार सूचना पत्र जारी कर कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए। दोनों कैंटीन से मटर का आटा और रिफाइंड सोयाबीन तेल के नमूने लिए गए हैं।

डेब नदी के ऊपर सात घंटे में बदले 33 केवी लाइन के तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः खरगोन जिले में बारिश के बीच विद्युतकर्मियों ने डेब नदी के ऊपर से गुजर रही 33 केवी लाइन के तार बदलने का चुनौतीपूर्ण कार्य सात घंटे में पूरा किया।

शुक्रवार रात आंधी-तूफान के कारण जुलवानिया से सैगांव जा रहे 33 केवी फीडर के तार भूलगांव के पास कमजोर हो गए थे। सूचना मिलते ही गोलवाड़ी उपकेंद्र को वैकल्पिक 33 केवी लाइन पर स्थानांतरित किया गया। इसके बाद शनिवार सुबह से तार बदलने का कार्य शुरू किया गया। खरगोन प्रथम संभाग के 25 लाइन कर्मचारियों ने गोताखोरों और तैराकों की मदद से डेब नदी के दोनों छोर के ऊपर नए तार डाले। सभी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हुए कार्य पूरा किया गया।

यह 33 केवी लाइन गोलवाड़ी उपकेंद्र से जुड़ी है और इससे करीब 20 गांवों की आबादी को बिजली मिलती है।

किशन की दूसरी जमानत अर्जी खारिज

नप्र, भोपाल : नकली दूध उत्पाद बनाकर बाजार में बेचने के आरोप में गिरफ्तार गायत्री फूड्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक किशन मोदी को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने उनकी दूसरी जमानत अर्जी भी निरस्त कर दी है। जानकारी के अनुसार किशन मोदी की ओर से दायर जमानत अर्जी में बीमारी का हवाला देते हुए तीन माह के लिए जमानत दिए जाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि केवल बीमारी के आधार पर जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता।

समय पर इलाज से 80 से 90 प्रतिशत बच्चों को कैंसर से मिल सकती है मुक्ति

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः बाल कैंसर जागरूकता माह के तहत एम्स भोपाल के बाल रोग विभाग ने विभिन्न विशेषज्ञ विभागों के सहयोग से बाल चिकित्सा ओपीडी में जागरूकता सत्र आयोजित किया। चिकित्सकों ने बताया कि बच्चों में कैंसर की समय पर पहचान और उचित उपचार मिलने पर करीब 80 से 90 प्रतिशत बच्चों को पूरी तरह स्वस्थ किया जा सकता है। सत्र के दौरान अभिभावकों को बच्चों में कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान, समय पर विशेषज्ञ के पास भेजने और उपचार पूरा कराने के महत्व की जानकारी दी गई। बच्चों में रक्त एवं कैंसर संबंधी रोगों के उपचार में विशेषज्ञता हासिल कर रहे रेजिडेंट चिकित्सकों डॉ. पक्किरेश रेड्डी, डॉ. अनुराग मोहंती और डॉ. मेघा धवन ने बाल कैंसर के सामान्य प्रकार, शुरुआती संकेत और उपचार में देरी से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। बाल रोग विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. शिखा मलिक ने कहा कि बाल कैंसर का उपचार सामूहिक प्रयास से संभव होता है। इसके लिए बाल रोग विशेषज्ञ, कैंसर विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक, रेडियोलॉजिस्ट, रोग निदान विशेषज्ञ और नर्सिंग स्टाफ के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

एम्स भोपाल में कैनकिड्स के सहयोग से उपचार करा रहे बच्चों और उनके परिवारों के लिए संस्थान के पास रहने की सुविधा तथा पोषण सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं योगेन्द्र सिंह मार्को पिता श्री ओंकार सिंह मार्को निवासी म.नं. ब्लॉक ई-2, बिजली नगर कॉलोनी गोविन्दपुरा भोपाल म.प्र. आधार नं. 510296830431, मेरी पुत्री मानसी मार्को पिता श्री योगेन्द्र सिंह मार्को (MANSI MARKO D/O YOGENDRA SINGH MARKO) के स्कूल रिकार्ड में त्रुटिवंश नाम मानसी मार्को (MANSHI MARKO) पिता श्री योगेन्द्र सिंह मार्को दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम मानसी मार्को पिता योगेन्द्र सिंह मार्को (MANSI MARKO D/O YOGENDRA SINGH MARKO) है जो सही व सत्य है एवं इसी नाम से जाना पहचाना जावेगा।

योगेन्द्र सिंह मार्को

1585

पश्चिम मध्य रेल

रुचि की अभिव्यक्ति (EOI)

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मंडल रेल चिकित्सालय निशातपुरा/भोपाल के भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये इच्छुक उप मंडल रेल चिकित्सालय इटारसी के मरीजों के लिये पैथोलॉजी जाँच सीजीएचएस दरों पर ईओआई (अभिव्यक्ति की रुचि) आमंत्रित किये जाते है। **(1) कार्य का विवरण:** उप मंडल रेल चिकित्सालय इटारसी के मरीजों के लिये सीजीएचएस दरो पर पैथोलॉजी जांच केंद्र से पैथोलॉजी जांच हेतु रुचि की अभिव्यक्ति EOI आमंत्रित किये जाते है। **कार्य की अवधि:** 02 वर्ष (कार्य प्रारंभ होने की तिथि से) **EOI जमा एवं खुलने की दिनांक एवं समय:** EOI जमा करने का दिनांक 05-10-26 समय 13.00 बजे तक एवं खुलने का दिनांक 05-10-26 समय 15.30 बजे। **नियम एवं शर्तें उपलब्ध है :- (1)** किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मंडल रेल चिकित्सालय निशातपुरा/भोपाल से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है। फोन नं: 9201978160 **(2)** रेलवे की वेबसाइड : https://wcr.indianrailways.gov.in से प्राप्त एवं डाउन लोड की जा सकती है।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पश्चिम मध्य रेल, भोपाल

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

नाम परिवर्तन की सूचना

यह कि खास और आम को यह सूचित किया जाता है कि मैं, माया बाई यादव पत्नी स्व.श्री प्रेम सिंह, आयु लगभग 59 वर्ष, निवासी-मकान नंबर-1/342 गांधी वार्ड बीना जिला-सागर मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मेरे पति स्व.श्री प्रेम सिंह के रेलवे सेवा रिकार्ड में मेरा नाम कही माया, कही माया बाई एवं कही पर माया बाई यादव अंकित है। जबकि मेरा वास्तविक नाम माया बाई यादव पत्नी स्व.श्री प्रेम सिंह है एवं इसी नाम से मेरा आधार कार्ड, उम्मीद कार्ड, पेन कार्ड, वोटर आईडी एवं बैंक पासबुक इत्यादि जारी है। ऊपर वर्णित तीनो नाम एक ही व्यक्ति के अर्थात मेरे स्वयं माया बाई यादव पत्नी स्व.श्री प्रेम सिंह के है। अतः मैं अपना नाम माया, माया बाई एवं माया बाई यादव के स्थान पर माया बाई यादव पत्नी स्व.श्री प्रेम सिंह (Maya Bai Yadav w/o Late Shri Prem Singh) करना चाहती हूँ। मेरा नाम जहाँ कही भी माया, माया बाई एवं माया बाई यादव दर्ज हो, उसके स्थान पर माया बाई यादव पत्नी स्व.श्री प्रेम सिंह (Maya Bai Yadav w/o Late Shri Prem Singh) पढ़ा, लिखा एवं दर्ज किया जावेगा।

1586

मध्य रेलवे कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित, भोपाल म.प्र.

पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./268

ई-8/01 रेलवे हाऊसिंग सोसायटी बस स्टाप नं. 12 अरेरा कालोनी भोपाल 462039

आम-सभा की सूचना

मध्य रेलवे कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या. भोपाल के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था की आम सभा दिनांक 27.09.2026 दिन रविवार समय 11.00 बजे ई-8 रेलवे हाऊसिंग सोसायटी के दक्षिण शापिंग सेन्टर के प्रथम तल पर होना निश्चित किया गया है, सभी सदस्यों को व्यक्तिगत, डाक से दिनांक 12.09.26 को सूचना पत्र भेजे जा चुके है। जिसमें समस्त सदस्यगण सादर आमंत्रण है। यदि किसी सदस्य को सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तो इस सूचना के आम सभा में आने का आमंत्रण समझा जाय। सदस्य का प्रति निधि ऐलाऊ नहीं होगा।

अध्यक्ष
मध्य रेलवे कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति मर्या. भोपाल

1588

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित

प्रधान कार्यालय : न्यू मार्केट, तात्या टोपे नगर, भोपाल (म.प्र.)

दूरभाष : 0755-3545761, 7024116560

वाहन विक्रय सूचना

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल अपने निम्नलिखित वाहनों को **'जहां है, जैसी है'** के आधार पर बंद निविदा प्रकिया से बेचने जा रहा है। वाहनों का अवलोकन बैंक मुख्यालय टी.टी. नगर, भोपाल में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

क्र.	वाहन क्र.	मेक	वर्ष	ईंधन	ऑफसेट मूल्य
1.	MP04CJ 8612	INNOVA	2012	Diesel	Rs. 1,65,000.00
2.	MP04CN 0010	SANTAFEE	2014	Diesel	Rs. 2,25,000.00
3.	MP04CR 1275	Swift Dzire	2016	Petrol	Rs 1,50,000.00
4.	MP04CS 3260	INNOVA Crysta	2017	Diesel	Rs. 4,75,000.00

मुख्य जानकारी

1. आवेदन पत्र, राशि रु. 500/- (18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त) नगद जमा कर बैंक मुख्यालय द्वितीय तल से दिनांक 14.09.2026 से प्राप्त कर सकते हैं तथा आवेदन पत्र ईएमडी राशि रु. 20,000/- के ड्राफ्ट के साथ **दिनांक 05.10.2026 तक** जमा कर सकते हैं।
2. प्राप्त मुहर बंद निविदायें दिनांक 08.10.2026 को अपरान्ह 01.00 बजे बैंक मुख्यालय में खोली जावेगी।
3. वाहन विक्रय हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तें बैंक की वेबसाइट **https://apexbankmp.bank.in** पर देखी जा सकती है तथा किसी भी प्रकार की सूचना अथवा तिथि में संशोधन संबंधी जानकारी केवल बैंक वेबसाइट में ही प्रदर्शित की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/127970/2026 **प्रबंध संचालक**

पश्चिम मध्य रेल

ई-निविदा सूचना,

बीपीएल एल सी/टी/666, दिनांकः10.09.2026 उप मुख्य विद्युत अभियंता (कार्य) प.म.रे., निर्माण कार्यालय भवन, डी. आर. एम ऑफिस के पास रानी कमलापति, भोपाल- 462024 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए खुली ई-निविदायें प्रतिष्ठित ठेकेदारों से, भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से आमंत्रित की जाती है। **निविदा कमांकः** बीपीएल /एल सी/टी/666, **कार्य विवरणः** गुना एवं रुठियाई कॉर्ड लाइन प्रोजेक्ट के संबंध में ओएचई का डिजाइन, सप्लाई, इरेक्शन, परीक्षण एवं कमीशनिंग कार्य साथ ही पावर सप्लाई व्यवस्था, मौजूदा ओएचई में संशोधन एवं इससे संबंधित जनरल सर्विस कार्य।, **कार्य पूर्ण करने की अवधिः** 18 माह, **अनुमानित कीमत रु.:** 88035356.70, **बयाना राशि रू.:** 1760700.00, **टेंडर फार्म की कीमत रु:** निल, **टेंडर बंद होने की दिनांकः** 05.10.2026(15.00बजे) ई- निविदा की पूर्ण जानकारी IREPS की वेबसाईट www.ireps.gov.in पर एवं इस कार्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध है। ई-बिड के अलावा कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी। इस प्रकाशन में शुध्दिपत्र संशोधन, यदि कोई हो तो केवल उपरोक्त वेबसाइट पर दिखाई देगा और इसे कहीं और प्रकाशित नहीं किया जायेगा। (हस्ता.)

उप मुख्य विद्युत अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल, भोपाल

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इन्डियन पार्टनशिप एक्ट की धारा-58 (1) द्वारा मैसर्स महेश्वरी ट्रेडिंग कंपनी, पता-45, सिगनेचर पार्क, एयरपोर्ट रोड, तहसील हुजुर, जिला भोपाल-462031, पंजीयन क्र. 01/01/01 /0345/24, दिनांक 22/01/2024 है। यह कि दिनांक 16/09/2025 को भागीदार अंशिका महेश्वरी पुत्री स्व. श्री अनूप महेश्वरी, निवासी-जीपी-60, लेकपर्ल स्पीरिंग, गांधी नगर, भोपाल, भागीदारी फर्म में सम्मिलित हो गई है।

मैसर्स महेश्वरी ट्रेडिंग कंपनी, पता-45, सिगनेचर पार्क, एयरपोर्ट रोड, तहसील हुजुर, जिला भोपाल-462031,

1590

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S एम.एम. अग्रवाल एण्ड कंपनी, पता-9, न्यू मार्केट, टी.टी. नगर हुजूर भोपाल-462003 में स्थित है, जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/ 0424/16, दिनांक 12.02/2016 है। जिसमें दिनांक 15.10.2021 को भागीदार श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री मुरारीलाल अग्रवाल एवं श्री रामगोपाल अग्रवाल पिता मुरारीलाल अग्रवाल, दिनांक 02.08.2025 को निधन हो जाने से फर्म से स्वतः ही पृथक हो गए है। दिनांक 18.10.2021 को श्री प्रशांत अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए है, आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

M/S एम.एम. अग्रवाल एण्ड कंपनी, श्री बजरंग अग्रवाल भागीदार,

8-9, बजरंग किराना स्टोर, न्यू मार्केट, टी.टी. नगर, हुजुर, भोपाल-462030

1589

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम संतोष मीना है जो कि त्रुटिवश मेरा नाम संतोष कुमार मीना लिख गया है। परंतु मेरा सही नाम संतोष मीना है मैं इसी नाम से ही जाना जाता हूं, संतोष मीना आ. स्व. रूपराम मीना निवासी एच.सी. 13 अभिरूचि परिसर ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल, **मो. 9425372697**

1587